

सं. 4-10(39)/2024-एचआर-II

Dated 25.03.2025

प्रेषक

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
सीएसआईआर मुख्यालय.

सेवा में,

सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों/केंद्रों के निदेशक/प्रमुख

विषय: ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अतिथि गृह आवास की बुकिंग के संबंध में।

महोदया/महोदय,

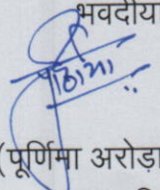
सीएसआईआर-एचआरडीसी में सामान्य प्रशासनिक वार्षिक बैठक, 2024 के दौरान सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों में अतिथि गृह आवास की बुकिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने के मुद्दे पर चर्चा की गई, और यह सुनिश्चित किए जाने पर सहमति हुई कि सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों में अतिथि गृह आवास ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुक किए जाएं। इस कार्य हेतु अतिथि गृह आवास की ऑनलाइन बुकिंग के लिए सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों हेतु एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया जाना था, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। हालाँकि, यह देखा गया है कि केंद्रीकृत पोर्टल व्यावहारिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है क्योंकि सीएसआईआर में कर्मचारियों/पेंशनभोगियों की कोई विशिष्ट आईडी नहीं है, जो केंद्रीकृत पोर्टल के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।

इस मामले पर सीएसआईआर मुख्यालय के आईटी प्रभाग से परामर्श किया गया है, और यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ प्रयोगशालाएँ/संस्थान अपने संबंधित अतिथि गृह की बुकिंग के लिए पहले से ही ऑनलाइन पोर्टल चला रही हैं। यह भी बताया गया है कि सीएसआईआर-आईएमएमटी द्वारा बनाया गया और इस्तेमाल किया जा रहा एक ऐसा सॉफ्टवेयर सीएसआईआर-सीजीसीआरआई; सीएसआईआर-आईआईसीबी; सीएसआईआर-एनएल और सीएसआईआर-सीआईएमएफआर जैसी अन्य प्रयोगशालाओं में भी होस्ट किया जा रहा है।

इन परिस्थितियों में, यह निर्णय लिया गया है कि सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाएँ/संस्थान यह सुनिश्चित करें कि उनकी संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान में अतिथि गृह की बुकिंग केवल ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही की जाए, तथा ऑनलाइन पोर्टल का लिंक उनकी संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया जाए। इस उद्देश्य हेतु प्रयोगशालाएँ/संस्थान स्वयं द्वारा विकसित पोर्टल को लागू कर सकती हैं, या वैकल्पिक रूप से उपर्युक्तानुसार अन्य प्रयोगशालाओं/संस्थानों के साथ समन्वय कर सकती हैं, तथा उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर को अपना सकती हैं।

यद्यपि, अप्रत्याशित आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए प्रयोगशालाएँ/संस्थान कुछ कमरों (आमतौर पर विभिन्न श्रेणियों के कुल कमरों के 25% तक सीमित) को ऑनलाइन बुकिंग के दायरे से बाहर रख सकती हैं। ऐसे कमरों की बुकिंग विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के निदेशकों/प्रमुखों के विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत होगी।

कृपया सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों में अतिथि गृहों की बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू की जाए तथा अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तक इस कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीया,

(पूर्णिमा अरोड़ा)
उप सचिव